में प्राइवेट पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कौन व्यक्ति किसके पास जाता था, सीबीआई के रिकार्ड में क्या है, इसकी जानकारी देने का दायित्व सरकार का है। वरना हम ज्युडिशियरी को क्रिटसाइज करते हैं कि ज्युडिशियरी एक्टिविज्म हो गयी भ्रष्टाचार के हर मामले, हर चीज पर मुख्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मदद नहीं करते हैं। उनको अरेस्ट करने में पुलिस मदद नहीं करती हैं, कलक्टर और एस० पी० मदद नहीं करते और अगर जूडीसियरी कुछ करती है तो कहा जाता है कि जूडीसियरी की उनके साथ सांठ-गांठ है।

Justice hurried is justice buried.

सैयद सिब्ते रजी: अभी अहलुवालिया जी यहां है नहीं वरना वे उन बातों का प्रोपर जवाब देते।

[सैयद सिब्ते रजी: अभी आहलुवालिया जी यहां पर नहीं हैं वरना वह उन बातों का प्रोपर जवाब देते।]

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: आप उनसे कोई कम नहीं है।

सैयद सिब्ते रजी: उनसे आपको प्रोपर जवाब मिलता मगर वे इस समय हैं नहीं।

[सैयद सिब्ते रजी: उनसे आपको प्रोपर जवाब मिलता मगर वह इस वक्त यहां नहीं हैं।]

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: देखिए मैं अहलुवालिया जी का नाम नहीं लिया।

सैयद सिब्ते रजी: नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन जो बातें कही हैं, हम लोग अनभिज्ञ लोग नहीं हैं, इसलिए इनको कृपया कल रख लें, जब वे यहां हों।

[सैयद सिब्ते रजी: नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन जो बातें कही हैं हम लोग अनभिज्ञ लोग नहीं हैं इसलिए इनको कृपया कल रख लें जब वह यहां हों।]

[] Transliteration in Arabic Script.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अहलुवालिया जी कोई नलवा नहीं है। अफगानिस्तान में बच्चों को डराया जाता था कि नलवा आ गया है। हमारे लिए वह हरि सिंह नलवा नहीं हैं, सिब्ते रजी साहब। अहलुवालिया साहब मेरी उस बेंच से भी और इधर से भी आवाज नहीं दबा सकते जब मैं अंतरात्मा आवाज से फैक्ट और फिगर्स के साथ अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। आप तो गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आप तो हमारा भाग्य विधाता भी रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARED): Please come to the point and conclude now.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, जो-जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, जो भी यहां पर मौजूद हैं वे सब सरकार से यह मांग करें, वैसे भी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम पूरा मूवमेंट शुरू करेंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस काम को जल्द करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): धन्यवाद चतुर्वेदी जी। जैसा मुझे आदेश हुआ है मैं सदन को लंच के लिए एक घंटे तक के लिए स्थगित करती हूं।

The House then adjourned for lunch at fifty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past three of the clock—THE VICE-CHAIRMAN, MISS SAROJ KHAPARDE, in the Chair.

SPECIAL MENTIONS

Need to Grant Permission to Expend Interest Earned on Money Deposited Under M.P.L.A.D. Scheme on Recommendations of M.Ps.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, I would like to take up Special Mentions. Shri Maheshwar Singh.

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra): Madam, the other day we had taken a decision that Special

Mentions would not be taken up today in view of discussion on Bihar.

SOME HON. MEMBERS: No, no. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No. A decision was taken on that day that Zero Hour Mentions and Special Mentions would be taken up today.

SHRI S.B. CHAVAN: These are being taken up since morning.

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचाल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, सांसद विकास निधि के अन्तर्गत जो धनराशि दी जा रही है, उसके निष्पादन में आज सांसदों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गाइडलाइंस में तो यह कहा गया है कि जैसे ही कोई सांसद अनुशंसा करेगा, 45 दिन के भीतर संबंधित कलक्टर उस योजना का प्राक्कलन तैयार करके निर्माण कार्य शुरू करेगा और तकनीकी तौर पर अगर कोई योजना संभव नहीं है तो समय रहते संबंधित सदस्यों को सूचित करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। कई जगह वह पैसा वर्षों तक खर्च नहीं हो रहा है, कई जगह 6-6, 7-7 महीने लग रहे हैं क्योंकि प्राक्कलन समय पर तैयार होकर नहीं आते। इस अवधि में जो ब्याज ऐसी राशि पर आज बैंको में अर्जित होता है उस ब्याज को खर्च करने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। इसके अभाव में कहीं कहीं तो कलेक्टर उस पैसे को खर्च कर देते हैं सांसद की अनुशंसा पर लेकिन अधिकांश जगह यह जवाब मिल रहा है चूंकि स्पष्ट निदेश नहीं है इसलिए यह पैसा खर्च नहीं हो सकता है। इस समस्या के समाधान हेतु मैंने एक प्रश्न पूछा! मैंने सोचा कि इस प्रश्न के पूछने से इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन समाधान नहीं हुआ उल्टे समस्या और बढ़ी है। मैं यहां उस प्रश्न को कोट करना चाहता हूं आपके माध्यम से और इस सरकार का ध्यान लाना चाहूंगा। 24 जुलाई को मैंने एक अतारांकित प्रश्न 267 पूछा। मैं प्रश्न में नही जाता हूं लेकिन जो उत्तर मिला है उसको यहां पर कोट करना चाहूंगा।

> "सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है चाहे कोई भी परियोजना हो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियोन पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग न करें तथापि ऐसे कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें ब्याज की राशि का उपयोग किया गया है। संबद्ध जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि में से खर्च की हुई राशि लौटाकर उसकी अनुपूर्ति करें"।

मैडम, यह तो बिल्कुल उलट हो गया कि कहीं अगर किसी सांसद की अनुशंसा पर कोई ब्याज की राशि किसी विकास कार्य पर खर्च की गयी है तो उसमें ये निर्देश चले गए कि उसको रिकवर किया जाए जो कि सांसद विकास निधि का पैसा है उसमें से। जब यह पैसा सांसद की अनुशंसा पर खर्च किया जाना है और उसमें जो ब्याज अर्जित होता है और ब्याज इसलिए अर्जित होता है क्योंकि अधिकांश कार्य हमको विकास खंडों के माध्यम से करवाना है और विकास खंड अधिकारी के पास उतना स्टाफ नहीं है कि समय रहते प्राक्कलन तैयार हो जाए, जब तक प्राकलन तैयार होकर परियोजना अधिकारी को नहीं जाता वहां से पैसा नहीं मिलता। तो उस अवधि में जो उसके ऊपर ब्याज अर्जित होता है उसमें तो सांसद को यह अधिकार होना चाहिए कि उसकी अनुशंसानुसार वह खर्च किया जाए। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा और आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस प्रकार का निर्देश दें कि वे संबंधित कलेक्टरों को इस प्रकार का निर्देश दें कि जो भी ब्याज इस राशि पर अर्जित होता है संबंधित सांसद की अनुशंसानुसार उसको खर्च किया जाना चाहिए।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): महोदया, जो अभी महेश्वर सिंह जी ने मसाला उठाया है वह बहुत गंभीर है। इसके पहले भी यह मामला उठ चुका है। यह ब्याज इसलिए अर्जित होता है कि काम समय पर विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। इसीलिए सांसद निधि में ही इसको जोड़ना चाहिए और सांसद की अनुशंसा के अनुसार यह खर्च होना चाहिए, नम्बर एक। नम्बर दो, 1997-98 की राशि अभी तक मिली ही नहीं है। अब चार महीने निकल गए हैं। असली तीन महीने काम करने के जो होते हैं अप्रैल से जून तक वह समय निकल गया है। देर से पैसा मिलता है। फिर पैसा मिलता है तो इस तरह से खर्च देर से होता है। फिर ब्याज भी नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और शासन से भी निवेदन है कि वर्ष 1997-98 की राशि तुरंत

रिलीज करें। अभी तक एक पैसा भी रिलीज नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश): मैडम, चार महीने हो गए हैं अभी यहां से पैसे नहीं गए हैं। उसका सूद कहां जाएगा यह नहीं मालूम। उसके बाद जब जाएगा तो अब 50 परसेंट कास्ट बढ़ गयी है महज सेक्रेटेरियट से पैसा नहीं जाने की वजह से। मेरी आपके माध्यम से यह अपील है कि फर्स्ट अप्रैल से दो अप्रैल को पैसा चला जाए और उसके बाद आंकलन किया जाए, काम हो। वरना काम खाली यहां की सुस्ती की वजह से जिलों में नहीं हो रहा है। अब जब चार महीने में पैसा नहीं जाएगा तो आठ महीने तो वे लगा ही देंगे। लिहाजा यहां से तेजी करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को तेजी करनी चाहिए ताकि पैसा पहुंचे और वक्त से काम हो।

†[श्री محمد مسعود خان (उत्तर प्रदेश):
میڈم - چار مہینے ہو گئے ہیں ابھی یہاں
سے پیسے نہیں گئے ہیں اس کا سود کہاں
جائے گا تو اب ۵۰ پرسینٹ کاسٹ بڑھ گئی
ہے - محض سیکریٹریٹ سے پیسہ نہیں جانے
کی وجہ سے میری آپ کے مادھیم سے یہ
اپیل ہے کہ فرسٹ اپریل سے دو اپریل
کو پیسہ چلا جائے اور اسکے بعد آنکلن
کیا جائے - کام ہو - ورنہ کام خالی یہاں
کی سستی کی وجہ سے ضلعوں میں نہیں
ہو رہا ہے - اب جب چار مہینے میں
پیسہ نہیں جائیگا تو آٹھ مہینے تو وہ لگا
دیں گے - لہٰذا یہاں سے تیزی کرنی چاہیئے
سینٹرل گورنمنٹ کو تیزی کرنی چاہیئے تاکہ
پیسہ پہنچے اور وقت سے کام ہو۔]

†[] Transliteration in Arabic Script.

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): I fully associate myself with Shri Maheshwarji's submission. This will act as a disincentive to spend money on projects quickly. What will happen is, Collectors will keep this money and the interest earned and spend it elsewhere. For this point of view, any interest earned should go back to MPLAD fund and spent on projects.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Only a minute, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Did I allow you?

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Madam , I associate myself. As far as my State is concerned, recently I brought it to the notice of the hon. Ministers of our State because there was a G.O. from the State Government calling for tenders with regard to MPLAD fund. As far as our State is concerned, there are guidelines. We also have separate guidelines. Only the Speaker can amend the guidelines. Now the State Government has no authority to pass any G.O. for tendering on MPLAD fund. Thank you, Madam.

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इससे एक नई बात जोड़ना चाहता हूं कि एम०पी० लैड का जो राशि जिला पदाधिकारी के यहां पड़ा रहता है उसका जो इन्ट्रेस्ट होता है उसके बारे में अभी तक कोई निदेश नहीं गया है कि उसका क्या होना चाहिए? इसलिए हम यह चाहेंगे कि सरकार की ओर से यह निदेश जाना चाहिए कि जो हमारा एक करोड़ रुपया जमा है उसमें से जो खर्च नहीं हुआ है उसका इन्ट्रेस्ट जो जिला पदाधिकारी के पास बचता है उसका क्या होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यह इतना महत्वपूर्ण विषय आपने यहां पर स्पेशल मेंशन के माध्यम से उठाया है मुझे हेसा लगता है कि इस पर थोड़ा सा अधिक समय देना होगा और सभी मान्यवरों से उनके सुझाव हमें सुनने चाहिए तभी हमें पता चलेगा कि उनके क्या विचार हैं।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): मैडम, मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो गाइड लाइन्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए इसमें सांसदों के सुझाव पर यह किया गया। गाइडलाइन्स भेजी गई है कोलैक्टर को कि इम्प्लीमेंटेशन के मॉनिटरिंग में सांसदों को इन्वाल्व किया जाएगा, मेरी समझ से यह कहीं भी नहीं किया जा रहा है। मेरे मामले में तो बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है। कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है। दूसरा गाइडलाइन है कि जो योजना एक महीने के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकती है, कोई बड़ी योजना नहीं है, जैसे ब्रिक सोलिंग की एक हजार फीट केवल सड़क के निर्माण की है तो वैसी योजना भी अभी पूरी नहीं हुई है। इस तरह से योजनाओं को काफी दिन तक लंबित रखा जाता है और उसके बारे में जो पहले पैसा रिलीज़ हुआ उसके एक कंसिडरेबल हिस्से का यूटिलाइजेशन नहीं हो गया तब तक आपको दूसरा फंड जाने में दिक्कत होती है। इसलिए यहां रुका रहता है। इसलिए गाइडलाइन्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए। इस में सब से बड़ा जो महत्वपूर्ण है कि सांसदों को इन्वाल्व किया जाए। नहीं इन्वाल्व करने के चलते भी इम्प्लीमेंटेशन में काफी गड़बड़ी है। महोदया, इस में भी भ्रष्टाचार है। मैं पार्टिकुलरली इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब सांसदों की इस योजना के अंतर्गत भ्रष्टचार है तो दूसरी योजनाओं के बारे में कल्पना की जा सकती है कि कितना गंभीर यह करप्शन का मामला है। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को बहाल नहीं करना है लेकिन छिपे दरवाजे से वे बहाल किए जाते हैं। मेट कहा जाता है उनको कॉन्ट्रैक्टर नहीं कहा जाता। जैसे बिहार के अन्दर पंचायतें नहीं है। वहां ब्लाक डवैपमेंट आफिसर को योजनाओं के कार्यान्वियन की जवाबदेही दी जाती है। किसी पंचायत के अंदर अगर वह काम है तो पंचायत सेवक को इम्प्लीमेंट करने की जवाबदेही दे दी गई और पंचायत सेवक लोकल एरिया के किसी मजबूत आदमी को उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए ठेका दे देता है। महोदया, इससे भी कमीशनखोरी है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और गाइडलाइन्स में और भी नए मुद्दे जोड़े जाने चाहिएं तथा जो पहले से गाइडलान्स हैं उनको स्ट्रिक्ट्ली लागू करने के लिए कोलैक्टर के लेवल से किया जाए धन्यवाद।

सैयद सिब्ते रज़ी(उत्तर प्रदेश): मैडम, बात हम लोगों की योजना के संबंध में यहां पर आ गई है तो यह जो इन्ट्रेस्ट का सवाल है यह तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन बहुत सारा पैसा जो है वह सरकार के विभिन्न विभागों को जो निर्माण काम के लिए दिया जाता है उनको एडवांस कर दिया जाता है। यहां तक कि 90 परसेंट जो पैसा है वह डिसबर्स कर दिया जाता है और साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल तक वह काम पूरा नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि अभी तक एम० पीज़ की तरफ से क्या इस स्कीम का फीडबैक है इस संबंध में कोई कमेटी नहीं बनी है। दोनों हाउसेज़ पर मुश्तमिल एक कमेटी बननी चाहिए जो हमारे क्या तजुर्बे हो रहे हैं इस स्कीम के लागू होने में उसको देखे। सब से ज्यादा हमें यही दिक्कत हो रही है। क्योंकि केन्द्र सरकार की जो एजेन्सी है, वह इसका इंपलीमेंटेशन करती नहीं। टोटल ही हमको स्टेट एजेन्सी पर डिपेंड करना पड़ता है। स्टेट एजेन्सी बहुत स्लो काम करती है। यहां से बैगर कोई मंत्रणा हुए कभी कभी शासन आदेश जाते रहे हैं। जैसे अभी यह गया कि जो अर्ध-शासकीय या सरकारी एजेन्सी हैं, उनके अलावा भी किसी भी प्राइवेट कांट्रेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय अपना फैसला करके काम दे सकते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत काफी ऐसी शुबह की चीजें आ रही हैं। कुछ भी हो, जो सरकारी एजेन्सी काम करती हैं उनका कुछ न कुछ दायित्व जरूर होता है। यह बाहर की एजेन्सी के लिए अभी गवर्नमेंट आर्डर गए हैं कि किसी भी बाहर की एजेन्सी को इसमें लगाया जा सकता है। जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिसमें डिसक्रिपेन्सीज हो सकती हैं, मिसएप्रोप्रिएशन आफ फंडस हो सकता है।

महोदया, मेरा ऐसा सुझाव है कि दोनों हाऊस की पांच पांच या आठ आठ सदस्यों की एक मिलीजुली समिति बननी चाहिए, जो पिछले तीन-चार साल के हमारे तजुर्बे हुए हैं, जो जो हमारी दिक्कतें रही हैं, उस पर वह हमसे बात करे। हम हाऊस में इस प्रश्न को कई मर्तबे उठा चुके हैं। आज ब्याज का प्रश्न सामने आया, इंपलीमेंटेशन का सवाल आया, कहां तक हमें डिस्ट्रिक्ट अथोरिटी कोपरेट करती हैं वह बात आई। मैं यहां प्रिवीलेज कमेटी के बारे में डिसकस नहीं करूंगा क्योंकि परंपरा यह है कि किसी कमेटी के अंदर जो बातचीत होती है वह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई अधिकारियों को प्रिवीलेज कमेटी के सामने उपस्थित होना पड़ा है क्योंकि उन्होंने डायवर्सन आफ फंड कर दिए थे। तो इन सब चीजों पर आप कृपया विचार कर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाऊस के मैम्बरान को लेकर एक कमेटी बनाएं, स्पीकर साहब और चेयरमेन साहब जो भी उसका रास्ता निकालें, मोडेलिटी उसकी तय करें। हम लोगों से बातचीत होनी चाहिए, हमारे विचार आने चाहिएं बजाय इसके कि केन्द्र सरकार की मिनिस्ट्री जब चाहे,

जब वह महसूस करे बगैर हमसे बातचीत किए यहां से शासन आदेश जारी करे।

महोदया, जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, निश्चित रूप से जिस कैपिटल या पूंजी के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, स्वाभाविक रूप से वह उसे ही मिलना चाहिए और उसी के खाते में जमा होना चाहिए। कई जगह ऐसा हुआ कि खाते अलग रहते हैं। अब तो इंस्ट्रक्शन्स चले गए हैं कि एम०पी० के जो एरिया डवलपमेंट स्कीम है उसके अंतर्गत अलग से खाते खोले जाएंगे। तो उसमें से अगर इंटरेस्ट कहीं ओर डायवर्ट होता है तो यह एक बहुत बड़ी गलत बात है और इसे मिसएप्रोपिएशन आफ फंड की सूरत में रखा जा सकता है। किसी जिला अधिकारी को यह अधिकार नही बनता कि जो एम०पीज० एरिया डवलपमेंट स्कीम के एकाउण्ट में धनराशि सूद की सूरत में आई है उसे वह कहीं ओर डायवर्ट कर दे। जितने भी ऐसे केस हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उस कमेटी के सामने रखे जाने चाहिएं। उस कमेटी को 15 दिन में या एक महीने में जरूर मिलना चाहिए क्योंकि गनर्वमेंट ने अभी तक कोई मोनेटरिंग सिस्टम निकाला नहीं है। हमारी बहुत सारी दिक्कतें हैं उन्हें हम हाऊस में जरूर उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है उसकी स्थिति यह है जैसे एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। हमारी बातों पर कोई तवज्जुह नहीं दी जाती है। इसलिए निश्चित रूप से हम सब इससे कंसर्न हैं और सरकार को एक मैथोडोलोजी इसकी तय करनी चाहिए, निश्चित रूप से एक कमेटी बननी चाहिए ताकि हमारे आचार विचार जो हैं वह सरकार को मालूम होते रहे।

†[سید سبط رضی "اتر پردیش": میڈم۔ بات ہم لوگوں کی یوجنا کے سمبندھ میں یہاں پر آگئی ہے تو یہ جو انٹرسٹ کا سوال ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ لیکن بہت سارا پیسہ جو ہے وہ سرکار کے "وچھن وبھاگوں" کو جو نرمان کام کیلئے دیئے جاتے ہیں انکو ایڈوانس کر دیا جاتا ہے یہاں تک کے ۹۰ پرسینٹ جو پیسہ ہے وہ ڈسبرس کر دیا جاتا ہے اور سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال تک وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ میرا سجھاؤ ہے کہ ابھی تک ایم۔پیز کی طرف سے کیا اس اسکیم کا "فیڈ بیک" ہے اس سمبندھ میں کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے۔ دونوں ھاوسس پر مشتمل ایک کمیٹی بننی چاہیئے جو ہمارے کیا تجربے ہو رہے ہیں اس اسکیم کے لاگو ہونے میں سب سے زیادہ ہمیں یہی دقت ہو رہی ہے۔ کیونکہ کیندر سرکاری جو ایجنسی ہے وہ اسکا امپلی مینٹیشن کرتی ہیں ٹوٹل بھی ہم کو اسٹیٹ ایجنسی پر ڈپنڈ کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ ایجنسی بہت سلو کام کرتی ہے۔ یہاں سے بغیر کوئی "منترنا" ہوئے بھی کبھی شاسن آدیش جاتے رہتے ہیں جیسے ابھی یہ لگا کہ جو "ارتھ شاستر" یا سرکاری ایجنسی ہے انکے علاوہ بھی کسی بھی پرائیویٹ کانٹریکٹر کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مہودے اپنا فیصلہ کرکے کام دے سکتے ہیں اب اسکے اندر بھی بہت کافی ایسی شبہ کی چیزیں آرہی ہیں۔ کچھ بھی ہو جو سرکاری ایجنسی کام کرتی ہیں انکا کچھ نہ کچھ فرض فرور ہوتا ہے۔ یہ باہر کی ایجنسی کیلئے ابھی گورنمنٹ آرڈر گئے ہیں کہ کسی بھی باہر کی ایجنسی کو اسمیں لگایا جاسکتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے مانیے سدسیہ نے کہا

†[JTransliteration in Arabic Script

طے کریں - ہم لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیئے ہمارے وچار آنے چاہئیں - بجائے اسکے کہ کیبنٹ سیکرٹری منسٹری جب چاہے جب وہ محسوس کرے بغیر ہم سے بات چیت کئے یہاں سے شاسن آدیش جاری کرے -

مہودیہ - جہاں تک انٹرسٹ کا سوال ہے - نشچت روپ سے جس کیپیٹل یا پونجی کے اوپر انٹرسٹ بنتا ہے - سوا بھاو یک روپ سے وہ اسے ہی ملنا چاہیئے اور اسی کے کھاتہ میں جمع ہونا چاہیئے - کئی جگہ ایسا ہوا کہ کھاتے الگ رہتے ہیں - اب تو انسٹرکشن چلے گئے ہیں کہ ایم - پی - کی جو ایریا ڈیولپمنٹ اسکیم ہے اسکے تحت الگ سے کھاتے کھولے جائینگے - تو اسمیں سے اگر انٹرسٹ نہیں اور ڈائورس ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے اور اسے "مس اپروپری ایشن آف فنڈس" کی صورت میں رکھا جا سکتا ہے - کسی ضلع ادھیکاری کو یہ ادھیکار نہیں بنتا ہے کہ جو ایم پیز ایریا ڈیولپمنٹ اسکیم کے اکاؤنٹ میں دھن راشی سود کی صورت میں آئی ہے اسے وہ رکھیں اور ڈائی ورٹ کر دے - جتنے بھی ایسے کیس ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کے سامنے رکھے جانے چاہئیں -

اسمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسمیں "ڈسکریپینسیز" ہو سکتی ہیں - مس اپروپریایشن آف فنڈس ہو سکتا ہے -

مہودیہ - میرا ایسا سجھاو ہے کہ دونوں ھاؤسس کی ۵ پانچ یا آٹھ آٹھ ممبر سبھوں کی ملی جلی سمیتی بننی چاہیئے - جو پچھلے تین چار سال کے ہمارے تجربے ہوئے ہیں جو جو ہماری دقتیں رہی ہیں - اس پر وہ ہم سے بات کریں - ہم ھاؤسس میں اس سوال کو کئی مرتبہ اٹھا چکے ہیں - آج بیاج کا پرشن سامنے آیا - امپلی مینٹیشن کا سوال آیا ہے - کہاں تک ہمیں ڈسٹرکٹ اختیاریٔ کو آپریٹ کرتی ہیں - وہ بات آئی - میں یہاں "پبلی ویلیج کمیٹی" کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گا - کیونکہ پر میرا یہ ہے کہ کسی کمیٹی کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کئی ادھیکاریوں کو پبلی ویلیج کمیٹی کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے - کیونکہ انھوں نے "ڈائورجن آف فنڈس" کر دیئے تھے - تو ان سب چیزوں پر آپ کرپیا وچار کر کے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ھاؤسس کے ممبران کو لیکر ایک کمیٹی بنائیں - اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب جو بھی اسکا راستہ نکالیں - "ماڈیلیٹی" اسکی

اس کمیٹی کو پندرہ دن میں یا ایک مہینہ میں ضرور ملنا چاہیئے کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی مانیٹرنگ سسٹم نکالا نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری دقتیں ہیں۔ انھیں ہم ہاؤس میں ضرور اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہماری سرکار جو ہے اسکی حالت یہ ہے جیسے ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ ہماری باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اسلئے نششچت روپ سے ہم سب اس سے کشٹ میں ہیں اور سرکار کو ایک "میتھوڈولوجی" اسکی ملے کرنی چاہیئے۔ نششچت روپ سے ایک کمیٹی بننی چاہیئے تاکہ ہمارے آچار وچار جو ہیں وہ سرکار کو معلوم ہوتے رہیں۔†

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): मैडम, इस संबंध में हमको दो बात कहनी है। पहली, जो गाइडलाइन केन्द्र सरकार से गई थी, उस गाइडलाइन में स्पष्ट था कि सूद को उसमें जोड़ा जाएगा। वर्ष 1994-95 का जो आदेश गया था, उसमें ऐसा था। फिर यह कहां से आ गया कि उसको नहीं जोड़ा जायेगा? दूसरी बात, जहां तक बिहार का मुझे अनुभव है, 20 से 25 प्रतिश तो विभाग उसमें ले लेता है। इसको आप जांच करा लें, 20 से 25 प्रतिशत, जो विभाग काम कराता है वही ले लेता है। ऐसा सिस्टम है। दूसरे राज्यों का क्या है, मुझे मालूम नहीं। तो यह आज स्थिति है। आप कह रहे हैं कि 10 परसेंट। कोई भी परसेंटेज हो, स्थिति अच्छी नहीं। हमारी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार को रोक देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। यह जो सांसद का विकास का कोटा है, उसमें ही जब लूटमार मचा लेते हैं या हिस्सा बना लेते हैं तो कहां पर भ्रष्टाचार से यह सरकार लड़ने वाली है। हमारी समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो गाइडलाइन है, उसमें होना चाहिए सांसद जो योजना बनाकर देंगे उसको 45 दिन के अंदर इंपलीमेंट होना चाहिए। लेकिन होता है या नहीं होता है, इसका भी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए और सांसदों को इसमें क्या दिक्कते हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार कोई कमेटी बनाए और इसी तरह से जो उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको रोका जाए।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट पास हो गया तो पैसा क्यों नहीं भेजते है? अगर इस योजना को चलाना है तो पैसा दीजिए, नहीं चलाना है, बंद करनी है तो बंद कर दीजिए, कुछ तो साफ-साफ कीजिए। मेरा कहना है कि आधे मन से कोई काम न कीजिए, करना हो तो पूरे मन से कीजिए। ...**(व्यवधान)**...नोमानी साहब, हम बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह क्या है कि जुलाई बीत गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया? अब बरसात में कौन सी योजना लागू होगी और फिर यह साल खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको सुचारु रूप से चलाने के लिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। यही मेरे सुझाव थे। धन्यवाद।

†[श्री जलालुदीन अंसारी "बिहार": मैडम - اس سمبندھ میں ہم کو دو بات کہنی ہیں پہلی جو گائیڈ لائن کیندر سرکار سے گئی تھی اس گائیڈ میں لائن میں اسپشٹ تھا کہ سود کو اسمیں جوڑا جائیگا ورش ۹۵-۱۹۹۴ کا جو آدیش گیا تھا اسمیں ایسا تھا - پھر یہ کہاں سے آگیا کہ اسکو نہیں جوڑا جائے گا - دوسری بات یہاں تک بہار کا مجھے انوبھو ہے ۲۰ سے ۲۵ فیصد تو وبھاگ اسمیں لے لیتا ہے اسکو آپ جانچ کرالیں - ۲۰ سے ۲۵ فیصد جو وبھاگ کام کراتا ہے وہی لے لیتا ہے - ایسا سسٹم ہے - دوسرے راجیوں کا کیا ہے مجھے معلوم نہیں - تو یہ آج اسنگتی ہے - آپ کہہ رہے

†[[Transliteration in Arabic Script

कह रहे हैं। लेकिन यह कहा है कि जो राशि बीत गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। अब बरसात में कौन सी योजना लागू होगी और फिर यह साल खत्म हो जायेगा इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको 'शून्य चार रुपये' से चलाने के लिये इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये। यही मेरे सुझाव थे। शुक्रिया।

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदया। यह एम०पी० लाड की जो योजना प्रारम्भ की गई थी, मैं समझता हूं कि इसका काफी लाभ हुआ है लेकिन इसकी क्रियान्वति में बहुत गड़बड़ी हो रही है। मैंने अपने पिछले तीन वर्षों में लगभग तीन करोड़ रुपह की राशि में से अधिकांश राशि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही दी है, मैं सड़क नाले, परनाले को नहीं देता हूं। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि क्लेक्टर को हम चिट्ठी लिखते हैं। कई योजनाओं में जो मैंने 1994 में रिकमेंड कीं, वे 1995 में सैक्शन कर दी गई और वही सैक्शन प्रोजेक्ट 1996 में भी सैक्शन कर दिया गया जब मैंने कम्प्युटराइज्ड हिसाब मंगाया और मैंने कहा कि आप तो इसके 1995 में सैक्शन कर चुके हैं, पैसा रिलीज़ कर चुके हैं, तो 1996 में इसे कैसे लिखा हुआ तो फिर करेक्शन हुआ उसमें। एक जगह ऐसा हुआ कि किसी म्युनिसिपल कारपोरेशन को पैसा ट्रांसफर हुआ श्मशानों के उद्धार के लिए अब नगर पालिका की कोई अपनी योजना थी और उन्हीं श्मशानों के उद्धार में उन्होंने मेरा पैसा एप्रोप्रिएट कर दिया और हिसाब बनाकर भेज दिया कि पांच लाख रुपया हमने तो लगा दिया, जबकि वह उनकी अपनी योजना थी। तो मैंने देखा कि This is not appropriatition. This is misappropriation. तो ऐसी कई उसमें कठिनाइयां आ रही हैं। अब एक महीने के ऊपर ब्याज मिलता है करीब 8 परसैंट का, एक महीने से कम का मिलता है 4.5 परसैंट का। अब हमारी धनराशि जो हमारे नाम से बैंक के एकाउंट में जमा होती है, अगर यहां के इंस्ट्रक्शन्स जाएं तो उस धनराशि को वह इस तरह से जमा कराएं कि एक करोड़ रुपया भी अगर 8 परसैंट पर हो तो साल भर में 8 लाख होता है, उसमे से

यह 10 परसैंट - कोई भी पर्सनेज हो इसकी इजाजत नहीं - हमारी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार को रोक देंगे - भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे - यह जो सांसदों का ब्लैकमेल का कोड है इसमें ही जब लूट मार मचा लेते हैं या हिस्सा बना लेते हैं तो कहां पर भ्रष्टाचार से यह सरकार डूबने वाली है। हमारी समझ में नहीं आता है - इसी लिए हम चाहते हैं कि जो गाईडलाईन हैं इसमें होना चाहिये - सांसद जो योजना बनाकर देंगे उसको 15 दिन के अन्दर इम्पलीमेंट होना चाहिये - लेकिन होता है या नहीं होता है उसका भी मानीटरिंग सिस्टम होना चाहिये और सांसदों को इसमें कुछ हकीकत हो रही है उनको ध्यान में रखते हुये सरकार को कमेटी बनाये और उसी के जरिये जो इसमें गड़बड़ियां हो रही हैं उनको रोका जाये।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट पास हो गया तो पैसा क्यों नहीं भेजते हैं - अगर इस योजना को चलाना है तो पैसा दीजिये नहीं चलाना है - बन्द करनी है तो बन्द कर दीजिये - कुछ तो साफ साफ कीजिये - मेरा कहना है कि आधे मन से कोई काम न कीजिये करना हो तो पूरे मन से कीजिये .. "हस्तक्षेप" नकवी साहब हम बन्द करने के लिये नहीं

थोड़ा-थोड़ा निकलता है, साल में पूरा कभी नहीं निकलता। तो वह एक करोड़ पांच लाख रुपया तो निश्चित रूप से हो सकता है। वह ब्याज की राशि भी इसमें इसलिए काम आनी चाहिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, उनकी ड्राइंग होती है, उनका ब्लू प्रिंट होता है, उनका एस्टीमेट होता है, उनकी फिज़िब्लिटी रिपोर्ट देखी जाती है और 6—8 महीने तो इसमे ही निकल जाते हैं, सैंक्शन जारी नहीं होती। सैंक्शन जारी होती है तो फिर पैसा रिलीज़ नहीं होता। फिर इम्लीमेंटिंग एजेंसी है, हम उनको कानटेर्क्ट करते हैं तो वह कहते हैं कि पैसा नहीं आया। इस बीच में कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोजेक्ट अगर 10 लाख का दिया हो तो वह प्रोजेक्ट 10 लाख 50 हजार का हो जाता है। उसमे क्या किया जाए? अब 50 हजार रुपया कहां से आएगा क्योंकि मैक्सिमम् लिमिट 10 लाख की है? तो ऐसी बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां, उनके इम्लीमेंटेशन में, एग्ज़ीक्यूशन में आ रही हैं। मैंने थक-हारकर, झक मारकर एक पत्र लिखा चीफ सैक्रेटरी को कि:

"I am going to mvoe a privilege motion against you. You are not maintaining proper accounts. You are liable for contempt of the House."

ऐसी चार पेज की जब मैंने एक चिट्ठी लिखी तो लॉ से भी चिट्ठी आई, क्लेक्टर की भी चिट्ठी आई, चीफ सैक्रेटरी की भी चिट्ठी आई कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई मेकेनिज्म सैंट्रल लेवल पर हो क्योंकि इसका लाभ तो है। हमारे जयपुर शहर में एक मुस्लिम हाई स्कूल है और वहां हॉस्टल की बहुत जरूरत है, वहां जिले के लड़के पढ़ने आते हैं। उन्होंने मुझे दावतनामा दिया और मैं वहां गया। जब गया तो मैं 10 लाख रुपया हॉस्टल के लिए दे आया। इन बातों को करीब-करीब दस महीने हो गए, अभी तक फंड रिलीज़ नहीं हुआ। अब उसकी कॉस्ट ११ लाख हो जाएगी क्योंकि हर साल बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब मैं उनको एक लाख रुपया कहां से दूंगा। वह फिर मेरे पास आए, मैंने फिर क्लेक्टर को फोन किया। इसी तरह से एक मोहम्मदी अस्पताल है, उनको दस लाख रुपये दे आया। महोदया, मुश्किल यह होती है कि न कोई प्लान बनता है, न फीजेबिलिटी देखी जाती है। अब इन गरीब बस्तियों में पानी की टंकी चाहिए थी तो मैंने उसके लिए 5 लाख रुपया दे दिया लेकिन वह रुपया आज तक वहां नहीं पहुंचा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हम किसको कहें? आप कोई ऐसा मैकेनिज्म सेंट्रल लेवल पर क्रिएट कर दीजिए, चाहे ज्वाइन्ट हो, चाहे लोकसभा और राज्यसभा का अलग-अलग हो लेकिन कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म अवश्य होना चाहिए जिससे अफसरों को लगे कि:

they can be hauled up for breach of privilege and contempt of the House if they violate the guidelines issued by the Speaker or the Governor.

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए कोई मैकेनिज्म जरूर निकालना चाहिए। हम अपनी प्रविर्येसेज लेकर कहां जाएं? मिनिस्ट्री से जवाब आया कि आपका पत्र मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। उनका भी पत्र आ गया कि आपके पत्र के आधार पर मैंने कलक्टर को लिख दिया है, वे आपको सूचित कर देंगे। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह तो ठीक है कि हमारा अपना कुछ असर है, हम फोन करके अपना काम करवा लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। इस हाऊस के मैंबर्स के लिए अलग मैकेनिज्म की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स को अप्रैल, 1997 से यह अधिकार मिल गया है कि वह अपने राज्य में यह फंड कहीं भी दे सकते हैं जिस राज्य से चुनकर आए हैं। इसलिए यहां बात दूसरी हो जाती है। लोकसभा के मेंबर्स के लिए यह फंड तो केवल उनकी कांस्टीट्युऐंसी तक ही समिति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपकी प्रिविलेजेज की कमेटी में यह मैटर मूव हो जाए, थोड़ा अखबार में यह चीज निकल जाए, वैसे तो तमाम आलतू-फालतू चीजें निकलती रहती हैं, यह बढ़ रहा है, वह बढ़ रहा है, अगर यह चीज निकल जाए तो सकारात्मक हो जाएगा। एक दफा अगर ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर रिमैंड कर दिया जाए तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। इसके बिना काम नहीं चलेगा।

महोदया, यह योजना तो बहुत अच्छी है। ब्यूरोक्रेट्स को तो हजारों-करोड़ों रुपये सैंक्शन होते हैं। हम तो लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कहीं पानी की टंकी बनवा देते हैं या कहीं स्कूल के लिए पैसा दे देते हैं। महोदया, आप हंसेंगी, कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल, जयपुर का सबसे पुराना गर्ल्स स्कूल है, मैं ज्यादातर गर्ल्स स्कूल्स के लिए पैसा देता हूं। वह स्कूल सबसे पुराना गर्ल्स स्कूल है। वहां जाने पर मैंने देखा कि एक कमरे में दो क्लासें चल रही हैं, एक का मुंह इधर है, दूसरी का मुंह उधर है। मैंने पूछा यह क्या है तो उन्होंने कहा कि कमरे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि मैं देता हूं 5 लाख रुपए, आप कमरे बनवा लीजिए। मैं दे आया उनको, घोषणा कर दी, चिट्ठी भी लिख दी। महोदया, वह स्कूल चलता है देवस्थानम विभाग की बिल्डिंग में। देवस्थानम विभाग

वालों ने कहा कि अग्रवाल जी से कहिए कि हमको डोनेट कर दें। भई, भारत सरकार का पैसा है, मैं डोनेट करने वाला कौन हूं? उन्होंने कहा कि हम तो केवल दान ले सकते हैं। देवस्थानम वाले दान ले सकते हैं, ऐसी सहायता नहीं ले सकते। अब वह मामला 2 साल से पैंडिंग है। हमने कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर दीजिए और हमने वह मामला भारत सरकार को रेफर करवाया। लेकिन यहां से अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि इसका समाधान कैसे हो? वहां एक सरकारी स्कूल चल रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल तो चल नहीं रहा है। इसी तरह एक सैंट्रल स्कूल हमने मंजूर कराया मानसरोवर में लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। आप आश्चर्य करेंगी कि 10 लाख रुपया मैंने दिया, 10 लाख रुपया भार्गव जी ने दिया, तब जाकर वहां सैंट्रल स्कूल की बिल्डिंग बनी। यह हालत है। लड़कियां पढ़ रही हैं, वहां की जो बाउंड्री वॉल है उस पर ब्लैकबोर्ड बने हुए हैं और पेड़ों के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। वहां अभी हमने 3 कमरे बनवाए।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर एक दफा दो-चार लोगों को यहां बुलाकर रिप्रैमांड कर दिया जाए और थोड़ा अखबारों में उसको छपवा दिया जाए अच्छी तरह से जैसे बाकी चीजें छपती हैं तो मैं समझता हूं कि उससे लोगों को एक सबक मिल जाएगा। इसलिए इसके लिए कोई मैकेनिज्म आप जरूर बनाएं, इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार): महोदया, यह मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। मैं बिहार राज्य से आता हूं। जितना पैसा यहां से जाता है, पहले तो उसमें बंदिशें हैं, एक तो बिहार और ऊपर से बेगूसराय। महोदया, बलिया संसदीय क्षेत्र का एक ब्लाक पड़ता है, उसकी बगल में अलौली क्षेत्र है। मैंने 2 साल पहले उस हिस्से में किसी एक योजना के लिए कुछ पैसा एलॉट किया और उस योजना का नाम दे दिया लेकिन वह पैसा आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ है।

खगड़िया के डी० एम० को फोन करता हूं तो कहता है कि आपका पैसा नहीं आया और इनको कहता हूं कि तो यह कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। तो यह कब तक चलता रहेगा। रोज मेरे को चिट्ठी मिल जाती है कि आपने फलां-फलां योजना जो 1994 में दी थी, 1995 में दी थी या 1996 में दी थी उस योजना में आपने एक लाख रुपया एलौट किया था, अब उसकी प्राइस बढ़ गई तथा अब एक लाख पैंतिस हजार रुपया चाहिए। पैंतीस हजार की और चिट्ठी लिखकर गई है। अब यह कहां से पूरी की जाए। यह जो एक-एक करोड़ रुपया इनके पास पड़ा रहता है बैंक फंड में और वह जो बैंक इंटरेस्ट कमा रहे हैं वह कहां जा रहा है, वह किस एकाउंट को जा रहा है। उसका एक सैपरेट एकाउंट मेन्टेन होना चाहिए या वह कहां यूज होना चाहिए उस पर सब मैंबर वही बात कर रहे हैं, पर इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। महोदया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं हमारे माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल जी से। कह दिया कि धार्मिक स्थानों पर आप कुछ नहीं दे सकते। अब हम धार्मिक हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, हम लोगों के बीच विचरते हैं। लोग मांगते हैं कि एक धर्मशाला बना दीजिए या देव-स्थान पर जाने का रास्ता बना दीजिए, हम नहीं बना सकते। हम धर्मशाला बनाएं तो कलक्टर कहता है कि—साहब, यह नहीं कर सकते। कोई आता है और कहा कि—साहब, आप गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर भवन बना दीजिए, गुरु नानक के नाम पर बना दीजिए, सामुदायिक भवन बना दीजिए किसी मंदिर के बगल में, कहीं पूजा स्थान के बगल में। पर हम नहीं कर सकते हैं। बहुत तरह से अड़ंगे आ रहे हैं। महोदया, मैं जिस इलाके से आता हूं वहां छोटी-छोटी नदियां हैं और उस पर ब्रिज सरकार बनाती नहीं है। आप जाएंगी तो देखेंगी कि वहां आदमी कपड़े पहनकर घर से निकलता है तथा नदी के किनारे आकर अपने कपड़े उतारकर बेचारा अंडर वियर में नदी को क्रौस करता है और फिर जाकर कपड़े पहनता है। वह जब समान लादकर आते हैं तो जानवरों की पीठ से सामान निकालकर अपने सिर पर बोझा ढोकर नदी क्रॉस करते हैं। वहां ब्रिज बनाने के लिए दिया। कहा कि 11 लाख रुपए का एस्टीमेट आ रहा था। कहा कि दस लाख रुपए से ज्यादा आप कर नहीं सकते। हमने कहा कि 11 लाख का लिख देता हूं, दो इंस्टालमेंट में लिख देता हूं, पार्ट-1, पार्ट-2 करके ब्रिज बना दीजिए। एक बार ईस्ट से चलाईए, एक बार वैस्ट से चलाईए, पूरा कर दीजए ब्रिज को। वह भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर आखिर हम यह पैसा किस उपयोग में लाएंगे। या तो एक बड़ा ब्रिज लिया जाए या पूरा एक सैम्पिल ब्रिज बन जाए कि ऐसे-ऐसे ब्रिज होंगे और वह पूरे नेशनल लेविल पर हमारे ब्रिज बना दिए जाएं कि हमारी कम्युनिटी सैंटर की बिल्डिंग इतनी बड़ी बनेगी, हमारे हैल्थ सैंटर की बिल्डिंग इतनी बड़ी बनगी, हमारे स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी बनेगी, लाइब्रेरी की इतनी बनेगी, ब्रिज इतने बड़े-बड़े बनेंगे और उसका एस्टीमेट बनाकर सी० पी० डब्लू० डी० पास करदे कि इतने रेट में बनेगा और उसका नक्शा बनादे और वह नक्शा लागू कर लेंगे हम सब

फिर मैडम्, एरिया की बात है एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड पर। मैंने ढाला की सड़क दी हुई है। वहां दोनों एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लड़ रहे हैं। एक कहता है यह मेरा एरिया है और दूसरा कहता है मेरा एरिया है। मैंने कहा कि जिसका एरिया है तुम फैसला करलो, जितनी कमीशन खानी है खा लो, इसको पूरा तो करो, सड़क को तो बनाओ। फिर भी सड़क नहीं बन रही है। रोज वहां की जनता पहुंच जाती है। इन चीजों को अगर हम सौर्ट आउट करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि चेयरमैन या स्पीकर लेविल पर केबिनेट सैक्रेटरी को कह कर चीफ सैक्रेटरी की मीटिंग बुलाई जाए और उन्हें आदेश दिए जाएं कि यह जो एम० पी० एरिया डवलपमेंट फंड है इसका मिस-यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए और इसकी गाईड लाईस बड़ी साफ सहज और सरल होनी चाहिए। इसमें कोई पेचीदगी न हो। सबसे बड़ी बात जो मौलाना जी ने उठाई कि जो पैसा पड़ा हुआ है वह तो गया किन्तु जो पैसा यहां से नहीं भेजते उसका हम क्या करेंगे और हम योजना पर योजना लिखे जा रहे हैं लेकिन वहां पैसा नहीं पहुंचता है। महोदया, इस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए । इलैक्ट्रोनिक डिपार्टमेंट ने एक सैम्बिल बनाकर दिया है। स्कूल वाले हैं अखबार को वह पढ़ा लेते हैं, अखबार में बातें छप भी जाती है। वह पढ़ करके मांग करते हैं कि हमें कम्प्यूटर दीजिए। गांव वाले कम्प्यूटर मांगते हैं। तो कम्प्यूटर कहां से दें? बिजली नहीं है। अब बैटरी आपरेटिड कम्प्यूटर हम तैयार करें, गांव के लिए स्पेशली बनाएं तो किस तरह से वह चल सकते हैं? बैटरी ऑपरेटिड होंगे? सारा कुछ काम हो। गांव के लिए विलेज टाईप कम्प्यूटर का निर्माण हो सके, उसकी ऑफर हो सके तो हम सारे गांव में कम्प्यूटर पहुंचा सकते हैं।गांव का, देहात का आदमी भी यह जानना चाहता है कि आखिर यह बला है क्या?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): शहरों में भी नहीं मिल रही है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: नहीं दे रहे हैं। स्कूलों में बिजली के कनैक्शन नहीं है तो हम कंप्यूटर कहां चलाएंगे? तो इस सारी प्रणाली पर विचार करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि एक डिटेल्ड लिस्ट बननी चाहिए जो एम० पी० के पास उपलब्ध रहनी चाहिए कि इस योजना पर इतना पैसा खर्च होता है। हमें पता भी नहीं होता है। कलैक्टर आकर कह देता है कि साहब, एक किलोमीटर के इतने लाख लगते हैं, हमें दे दीजिए। और एक कंपीटीशन है महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां किसी और पॉलीटिकल पार्टी के लोक सभा के सदस्य, है, आ गये। साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क बननी है। तीन किलोमीटर की सड़क हमने बना दी और आधा किलोमीटर उन्होंने बना दी। उसके बाद उद्घाटन उन्होंने अपने नाम से करवा लिया साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क का।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: बोर्ड भी लगा दिया।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: जी हां, बोर्ड भी लगा दिया। इसलिए कलैक्टर को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जिन्होंने सड़क बनवाई है, बोर्ड तो उसका लगे। आधा किलोमीटर वाला साढ़े तीन किलोमीटर का बैनीफिट ले रहा है और उसके नाम की तालियां बज रही हैं कि साहब, साढ़े तीन किलोमीटर की रोड गांव को दे दी। जब हम गांव जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो वहां पूछते हैं कि आपने सड़क बनवाई? गांव के मुखिया इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि आपने बनवाई थी, उद्घाटन वह करा गये। तो यह आश्चर्य की बात है। कलैक्टर को यह निर्देश भी दिये जाने चाहिए। महोदया, मैं पिछले दिनों एक स्कूल में उद्घाटन करने गया तो मैंने देखा कि वहां दरार पड़ी है। मैंने जब अंदर जाकर देखा तो वहां पूरी फटी हुई है और दीवार में दरार पड़ गयी है तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कलैक्टर को कहा कि इसकी इन्क्वायरी की जाए। आपने पैसा दे दिया, यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट देख लिया और यह दरार पड़ी है, यह नहीं देखा। तो जिस आदमी ने ऐसा किया है, उसकी इन्क्वायरी हो, जिसने यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट को वैरीफाई किया है, उसकी भी इन्क्वायरी हो। तो यह सब कार्यवाही करने के लिए मॉनिटरिंग ऐजेंसी हो, कुछ निर्देश हों, आज तक निर्देश नहीं पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि यह आठ सौ करोड़ रुपया जो जा रहा है, यह भी लगता है कि सब पर्सनल लैजर अकाउंट में जा रहा है और हम लोग लिख-लिखकर देते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह पर्सनल लैजर अकाउंट नया खुल गया है। तो इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए तरीका यही है कि चेयरमैन और स्पीकर के लैवल पर कैबीनेट सैक्रेटरी को कहा जाए कि सब मुख्य मंत्रियों को वह बुलाएं और डैवलपमेंट कमिश्नर्स बुलाकर पूरी हिदायत दें कि आने वाले दिनों में पैसे का सदुपयोग कहां किया जा सके। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): श्री रामदास अग्रवाल। महेश्वर सिंह जी, आपने विषय ऐसा ढूंढा है कि हम उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): महोदया, अभी सतीश जी ने कहा कि वह स्कूल में, हॉस्पीटल में पैसा देते हैं और अभी अहलुवालिया जी कह रहे थे कि हम देवस्थान में देना चाहते हैं। मैंने दो साल पहले एक

शमशानघाट के लिए पैसा दिया था पर उस शमशानघाट की तरक्की करने के लिए जो पैसा दिया वह वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। उसकी तरक्की नहीं हो पायी है। कलैक्टर का ट्रांसफर हो गया है, शायद मेरे शमशान जाने का इंतजार किया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?

श्री रामदास अग्रवाल: महोदया, यह मजाक की बात इसलिए है....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ऐसा हो रहा है, यह मुझे भी मालूम है।

श्री रामदास अग्रवाल: महोदया, अजीब बात होती है। झगड़ा दो विभागों में हो जाता है। जमीन निगम के अंडर होती है। निगम सरकार के अंदर होती है लेकिन पैसा खर्च करने की ऐजेंसी दूसरी होती है। दोनों में झगड़ा होता है, निपटान नहीं होता है इसलिए निर्माण नहीं होता। महोदया, यह समस्या हमारी है। मैं एक और पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरे केस में हुआ है। मुझे अभी-अभी श्री महेश्वर सिंह जी से पता लगा कि इसका पैसा लैप्स नहीं होता है। मेरे केस के अंदर 1994-95 के पैसे के बारे में, मुझे ऐसा पूरा स्मरण है कि कलैक्टर ने मुझे लिखकर बताया है कि आपका इस साल का पैसा लैप्स हो गया है, आप अब इसको खर्च नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं यह मानकर चल रहा था कि शायद ऐसी व्यवस्था हो लेकिन मेरे केस में यह हुआ और उन्होंने कह दिया कि आपने अगर 50 लाख का सैंक्शन कर दिया था तो बाद में आप पचास लाख खर्च नहीं कर सकते, वह लैप्स हो गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई स्थिति है और अगर नहीं है तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह रुपया लैप्स नहीं होता है, वह खाते में जमा रहता है तथा वह खर्च होना चाहिए। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा हमारे माननीय सांसदों ने कहा है कि एक कमेटी बननी ही चाहिए और फिर कमेटी बनने के बाद लोगों को क्वेश्चनिंग करनी चाहिए जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था विलम्ब से हो रही है उनमें दो-चार ऐसी एक्जम्पलरी कुछ व्यवस्था हो ताकि सारे देश में कलेक्टर्स को यह पता लगे कि सांसदों के फण्ड में से रुपया खर्च न करना यह भी एक अपराध माना जाएगा और उनकी नौकरी के ऊपर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आंच आ सकती है तभी जाकर कोई भय पैदा होगा। वरना तो हम लोग भी जैसे और विभागों में चक्कर लगाते रहते हैं वैसे ही चक्कर खाते रहेंगे। हमारा रुपया पड़ा रहेगा, खर्च नहीं होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि एक कमेटी के गठन की बात आप कृपया करके शीघ्र करें। धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंह: महोदया, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरा सुझाव है कि....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप जरा बैठ जाइए। चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: महोदया, इस विषय में सभी कठिनाइयां हमारे माननीय सांसदों ने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। मैं बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह जो ब्याज का मामला है इसका अभी तक पूरा समाधान नहीं हो सका है। ब्याज उसमें जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है? मैं समझता हूं कि इससे और भी अधिक जनता की सहायता हो सकती है। इस मामले में एक स्पष्टता होनी चाहिए और इसी से संबंधित दूसरा मेरा निवेदन यह है कि साल के अन्त में एमपी के कहने पर कलेक्टर महोदय को उसका पूरा विवरण या हिसाब-किताब की एक कापी सांसद को देनी चाहिए।

तीसरा निवेदन जो मुझे करना है जिसके बारे में अभी सतीश जी और अहलुवालिया जी ने भी कहा कि जब देर होती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और उसमें फिर बहुत कठिनाई होती है। खासकर गांवों के लिए इसमें बहुत कठिनाई हो रही है क्योंकि बेचारे गांव वाले या प्रधान जिनकी देखरेख में हम काम छोड़ते हैं वह बार-बार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पहुंच नहीं सकते है।

चौथी बात जो मुझे आपसे इस संबंध में कहनी है और इस बात को गंभीरता से लिया जाए कि कलेक्टर या जो भी इससे संबंधित अधिकारी है वह क्वालिटी आफ वर्क, उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखे और वह कार्य टाइम बाउंड, समय में पूरा होना चाहिए। उसके लिए जो भी तीन या छह महीने का समय निश्चित हो वह कार्य उसी अवधि में होना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह कलेक्टर के निश्चय के ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वह कार्य करने के लिए किस एजेन्सी को दिया जाये। कलेक्टर महोदय तीन या चार एजेन्सी बताते हैं उन्हीं में से वह उनको कार्य करने के लिए सौंप देते हैं। अगर वे इसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत कठिनाई होती है। आप हैंड पम्प लगवायें और अगर वह छह महीने में खराब हो जाए या उसकी गहराई 120 फीट न हो करके 80 फीट छोड़ दें तो उसमें सांसद की हंसी होती है और इससे जनता में आक्रोश पैदा होता है, नाराजगी पैदा होती है, व्यर्थ में पैसा जाया

होता है। इसको भी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। इस वजह से मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि कोई एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी मानीटरिंग करें। बेहतर हो कि राज्य सभा की एक अलग कमेटी बनायें क्योंकि थोड़ा समस्याओं में भेद है। जो पैसा हमें दिया गया है उससे हम कई जिलों में कुछ छोटे-मोटे काम करवा रहे हैं। लोग दौड़ते हुए यहां दिल्ली तक आते हैं, अपना पैसा खर्च करके गांव के प्रधान आते हैं जबकि लोग सभा में वह एक जिले तक ही सीमित रहते हैं।

अन्त में, मुझे यह निवेदन करना है कि कमेटी आफ प्रिविलेज में एक या दो मामले **शून्य** सभा में आये। क्व्हाण साहब को याद है। ....**(व्यवधान)**... मामले दो सदस्यों के एकाउन्ट के पैसे से संबंधित थे। इलाहाबाद में एक सदस्य का जो पैसा था उसका गलत इस्तेमाल किया गया और दूसरे मामले में पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया गया तो उसमें अधिकारियों को बुलाया गया था। हम लोग विज्ञापन नहीं करते हैं, वैसे विज्ञापन देने को हम उचित भी नहीं समझते हैं। इसी वजह से केबीनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का यह दायित्व हो जाता है कि वह ऐसे मामलों को गम्भीरता से लें। हम रोज पावर्टी इरेडिकेशन का, गांव वालों की समस्याओं का जिक्र करते हैं। मैं समझता हूं कि सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव भावना से इस मामले को लिया जाना चाहिए।

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और केन्द्रीय सरकार के बजट से सीधे-सीधे विकास कार्यों के लिए धनराशि दी जाती है। इसमें न तो किसी धनराशि की स्वीकृति का सवाल आता है और न किसी परियोजना या काम की संकल्पना का प्रश्न आता है। सीधे-सीधे सांसद अपने क्षेत्र में किसी भी कार्य को चिन्हित करके वहा जो व्यवस्था पहले से विद्यमान है, जिला स्तर पर उसका निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार लोक-हित के कार्य को करने के लिए अपनी संस्तुति करता है। उसके उपरान्त इसमें इतना विलम्ब क्यों होता है यह समझ में नहीं आता। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। पिछले वर्ष फरवरी में संस्तुत कार्यों पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। तो मेरा यह निवेदन है कि इसके जो मार्ग-दर्शक सिद्धांत बने हैं, उनको निश्चितरूप से यह निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि प्रत्येक चरण का समय सीमांकन हो। जब संस्तुति प्राप्त हो तो उसके इतने दिन बाद आदेश हो जाएंगे, इतने दिनों बाद टेंडर हो जायेंगे और इतने दिनों बाद वह काम समाप्त हो जाएगा। जो राजकर्मी जिला प्रशासन से संबंधित हैं जिनका उत्तरदायित्व उस काम को निवर्हन करने का है यदि उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का समुचित निवर्हन नहीं किया है तो उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्याज उस धनराशि पर आता है, वह राशि जब तक अनुपयोगी पड़ी रहती है, उस ब्याज का कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। मेरी मांग करने के तीन वर्ष बाद इस बार, पहली बार उन्होंने उसको भेजा है और वह आधा अधूरा भेजा है। तो इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि जो ब्याज की राशि उसके ऊपर आती है उसका विवरण दिया जाए और जो अनुपयुक्त धन पड़ा रहता है उसका इस अवधि में किस प्रकार उपयोग किया जाए इसकी भी जानकारी सांसदों को सीधे-सीधे दी जानी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि मेरे अपने जिले में और दूसरे उत्तर प्रदेश के जिलों में भी हमने देखा है कि वहां जो डी०आर०डी० का आफिस है, जो इसकी उत्तरदायी संस्थान है, उसका जो कार्यालय है वह चेक रिलीज करते समय, भुगतान के समय चेक बनाने के लिए 5 प्रतिशत रिश्वत मांगता है। दूसरे विभागों, इंजीनियरी विभाग और बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार है वह तो है लेकिन इस कार्यालय के लोग चेक बनाने के लिए 5 प्रतिशत रिश्वत मांगते हैं, 5 प्रतिशत सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है। इसकी पुष्टि आप जांच से कर सकते हैं। तो यह बहुत ही आक्षेप और आपत्ति की बात है। यह एक साझी समस्या है। उपसभाध्यक्ष महोदया, जब मैंने इसका हिसाब लगाया तो पता चला कि इसमें करीब 30—38 प्रतिशत राशि चली जाती है। अधिकारी स्वयं अनौपचारिक रूप से कहते हैं कि अगर किसी कार्य के ऊपर 60—65 प्रतिशत पैसा खर्च हो जाए तो वह एक अच्छा काम माना जाता है, एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि 60—65 प्रतिशत से भी कम धन इन कार्यों पर खर्च होता है। इसका मैंने एक थोड़ा सा निदान व्यक्तिगत स्तर पर निकाला है। मैंने जहां-जहां इस प्रकार के काम आवंटित किए हैं तो इसके लिए एक अनौपचारिक समिति उस गांव के लोगों की बना देता हूं। जहां कहीं ईंटें कम लगती हैं, सड़क कम चौड़ी बनाई जाती है या किसी कार्य में जहां पर जितनी ईंटें लगनी चाहिए उतनी नहीं लगती है या उनकी गुणवत्ता जो निर्धारित है उसके अनुरूप नहीं होती है तो गांव वाले लोग उस काम को रोक देते हैं। पर सब जगह ऐसा नहीं हो सकता है। यह एक छोटा सा सुझाव मैं सांसदों की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं और पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश लिखित रूप से देने चाहिए और इसमें

सांसदों की क्या भूमिका है, वह उसमें कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं इन प्रोविजन्स का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली): महोदया, एम०पी० लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के सार्थक इम्पलीमेंटेशन में हमको बहुत दिक्कत आती है। खासतौर से दिल्ली में, जहां पर मल्टी-अथारिटी सिस्टम होने की वजह से अगर हमको कोई इस तरह के प्रोजेक्ट लेने हों जो ड्यूरेबल असेट हो सकते हो तो वहा इसके लिए हमें जमीन नहीं मिलती है। एन०सी०टी० की जमीन है, डी०डी०ए० की जमीन हमें नहीं मिलती है और इस कारण कोई ड्यूरेबल असेट क्रिएट करने के बजाय इस किस्म के कामों में पैसा खर्च करना पड़ता है जिससे बेहतर कामों में उसका उपयोग हो सकता था। मैडम, मैं यह चाह रहा था कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में रीडिंग रूम बनवा दूं, कुछ कम्युनिटी सेंटर बनवा दूं। कोई एक लाइब्रेरी बनवा दूं लेकिन हर जगह दिक्कत आती है लैंड की अवेलेबिलिटी की और डी०डी०ए० की तरफ से किसी किस्म से कोई चीज़ मूव नहीं करती है। नतीजा यह होता है कि जो पैसा किसी अच्छे ड्यूरेबल अस्सेट क्रियेट करने वाले सार्थक काम में इस्तेमाल होना चाहिये था वह फिर और कामों में इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे दिक्कत यह है कि बहुत से पार्क दिल्ली में ऐसे हैं जहां पर इनक्रोचमेंट हो रहा है, मवेशी बांध रहे हैं। उन पार्कों को अगर कुछ अच्छे कामों के लिए उपयोग हो सकता है लेकिन लैंड यूज़ चेंज नहीं हो सकता है, वहां बाधा आती है। मेरा केवल आपसे इतना ही कहना है कि पैसा हमारे पास है, उस पैसे का हम सार्थक उपयोग करना चाहते हैं लेकिन इस प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से पैसे का ठीक उपयोग नहीं होता है और फिर छुट-पुट कामों में खर्च करना पड़ता है। सांसदों को जो दिक्कत आ रही है इसके इंपलीमेंटेशन में, इसके लिए मेरा सुझाव है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बने, ऐसी कोई मशीनरी बने, कोई कमेटी बने जिसके सामने वह अपनी बात कह सकें और उसमें से समस्या के समाधान के लिए कोई रस्ता निकले।

प्रो० राम कापसे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदया, एम०पी० लोकल एरिया डवलपमेंट के बारे में ...**(व्यवधान)**

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan): Searching?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No, no. I am not searching. They are raising their hands. So, I have to accommodate them. Prof. Kapse was sitting behind you. So, I looking for him.

PROF. RAM KAPSE: She has permitted me to speak on my request.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I don't have to search the Members because they are already sitting in the House. The subject is so important that every Member would like to participate. So, I though let me give an opportunity to him to speak on this subject.

प्रो० राम कापसे: इस विषय पर जिस तरह से चर्चा हुई है, यह बहुत ही सार्थक चर्चा है लेकिन असली सार्थकता तब होगी कि इस महत्वपूर्ण विषय के जो मंत्री हैं, उनके पास हमारी बात पहुंचे और कुछ निर्णय करें। आज स्थिति यह है कि अचानक चर्चा शुरू हुई है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। उनके पास बात पहुंचेगी, चर्चा सार्थक तब होगी जब वह इस विषय पर आ कर कुछ स्टेटमेंट करें, कुछ एक्शन करें, तब कुछ फायदा होगा। अपनी दृष्टि से जो मोनिटरिंग की बात कही जा रही है, इस विषय में भी कुछ निर्णय हम करें तब सार्थक होगी। मैं अपने अनुभव कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। इसमें से कुछ सार्थक हो, इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): धन्यवाद कापसे जी। श्री अनुपम।

एक माननीय सदस्य: अनुपम नहीं, निरुपम। ...**(व्यवधान)**

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): मैं वो हूं जिसकी कोई उपमा न हो। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आभारी हूं जो आपने मुझे इस विषप पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया। सब से पहले सवाल यह है कि जो प्रोजेक्ट्स की धनराशि निश्चित की गई है, वह बहुत कम है। मैंने नागपुर डिस्ट्रिक्ट आए किया है डवलपमेंट के लिए। नागपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां बड़ी समस्या सिंचाई के पानी की है। आप खुद नागपुर ज़िले की हैं, आप वाकिफ़ होंगी। मैंने यह सोचा कि सिंचाई के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए। मैं यदि छोटी से छोटी भी सिंचाई की कोई योजना लेना चाहता हूं तो उसकी लागत 30 लाख से ले कर 50 लाख तक आ रही है। हमारी डी०एम० साहिबा ने सजेस्ट किया है कि 10 लाख से ऊपर की लागत वाली प्रोजेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और बहुत सारे प्रोजेक्ट

हैं, सड़क के लेवल पर हैं, पुल के लेवल पर है, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार फंड दे रही है। मैं सिंचाई की योजना लेना चाहता हूं लेकिन नहीं लेने दी जा रही है। पहला अनुरोध मैं यह करूंगा कि सांसदों की निधि का जो उपयोग हो रहा है, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था हो कि मैं जितनी बड़ी योजना लेना चाहूं ले सकूं।

दूसरी बात यह है कि मैंने फरवरी महीने में प्रोजेक्ट दिया था लेकिन आज तक सही ढंग से इस्टीमेट तैयार कर के मेरे पास नहीं आया है। तीसरी बात यह है कि मैं एक स्टेडियम बनाना चाह रहा हूं। राम टेक में जो स्टेडियम है उसमें गैलरी नहीं है ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप अगर एक-एक क्षेत्र को ले कर सारे अनुभव बताना शुरू करेंगे I think there won't be any limit. क्या करना चाहिये, किस तरीके से होना चाहिये, इसकी चर्चा होनी चाहिए।

श्री संजय निरुपम: मैडम, इस विषय के तीन पहलू हैं। एक तो यह है कि पैसा हम खर्च करना चाहते हैं, उसमें बहुत डिले होता है। हम अनुरोध करेंगे कि इतना विलम्ब न हो, उसको तेजी से निपटाया जाए। दूसरा पक्ष यह है कि बड़े प्रोजेक्ट हम ले सकें। वहां डी०एम० यह बताते हैं कि गाइडलाइंस ऐसी है कि 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट हम नहीं ले सकते हैं। हमें बड़े प्रोजेक्ट लेने की अनुमति मिलनी चाहिये। तीसरी बात यह है कि राम टेक में जो राम मन्दिर है, हम उसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि आप धार्मिक कार्यक्रम नहीं ले सकते हैं। यह तो इस तरह का बंधन है, यह सारे बंधन हटाए जाने चाहिये। इन सारी बातों पर निर्णय लेने के लिए, डिसक्शन करने के लिए एक कमेटी बनायी जाए और कमेटी की तरफ से सही ढंग से रिकमेंडेशन आए ताकि ये जो फंड्स हैं उनका सही इस्तेमाल हो सके और वे सार्थक हो सकें। धन्यवाद।

श्री दावा लामा (पश्चिमी बंगाल): महोदया, इस बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखे तथा कठिनाइयों के बारे में बोला, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। मेरी भी समस्याएं हैं। दार्जीलिंग आप लोग जानते हैं। दार्जीलिंग ऐसी जगह है जहां पर वर्ष में करीब सात महीने बरसात रहती है। तो उस जगह पर जैसे गाइडलाइन में है जब हम लोग कोई स्कीम या प्रोपोजल देते हैं तो प्रोपोजल देने के बाद 45 दिन के भीतर वह शुरू करना होगा। मगर करीब-करीब चार महीने पहले मैंने जो बहुत सारे प्रोपोजल्स और स्कीम्स दी थीं वे अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। शुरू में मैंने कहा कि इसके विशेष कारण क्या है। जिन स्कीम्स के अगेंस्ट हम रुपया ठीक करते हैं जैसे कई जगह रास्ते के लिए एक लाख रुपया, कई जगह पानी के लिए डेढ़ लाख रुपया, हम लोग टेक्निकल तो नहीं हैं जिससे कि एस्टीमेट बनाकर दे दें। जब हम देते हैं तो ब्लाक में जाता है या किसी एजेंसी के पास जाता है फिर उसका एस्टीमेट बनाते है, एस्टीमेट बनाने के बाद वह शुरू होती है। मैंने एक लाख का एस्टीमेट दिया...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप अपने सुझाव बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं।

श्री दावा लामा: हमने एक लाख दिया तो एक लाख दस हजार या पन्द्रह हजार हो जाता है, कोई कमी या बेशी हो जाती है। इसलिए एक करोड़ लिमिटेड फंड है अगर कमी या बेशी हो जाएगी तो पूरी की पूरी स्कीम्स कैसे बनेंगी, यह भी बात है। दूसरी वेटिंग की बात है। कोई भी स्कीम किसी एजेंसी के पास वेटिंग के लिए जाती है। दूसरी जगहों में ऐसा कोई बंदोबस्त है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है मगर दार्जीलिंग में ऐसी कुछ कठिनाई है कि वेटिंग में बहुत असुविधा है। फिर कौन वेटिंग करेगा? एक लाख की जो स्कीम है किसके पास वेटिंग के लिए जाएगी। फिर वेटिंग में इतनी देरी हो जाती है जिससे कि स्कीम शुरू करने में देरी हो जाती है। तीसरा, गत 10 तारीख को डी०एम० के साथ एक मीटिंग में डी०एम० ने एक प्राब्लम रखी। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं उनमें प्रत्येक एजेंसी में जो काम करने वाली है उसके लिए कन्टिन्जेंसी का एक बंदोबस्त है। मगर हमारा जो पार्लियामेंट का फंड है उसमें कन्टिन्जेंसी का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई प्राविजन नहीं है। इसलिए वह प्राब्लम रखी थी। मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है जो हमारी इंप्लीमेंटेशन कमेटी है, जो डिपार्टमेंट या जो चेयरमैन है उनको कि कन्टिन्जेंसी के बारे में क्या हो गया। कन्टिन्जेंसी नहीं मिलेगी तब तो डिपार्टमेंट वाले काम करने में असुविधा महसूस करते हैं। कैसे जाएंगे? दार्जीलिंग ऐसे जगह है जो हिल है। जहां दस किलमीटर जाना है वहां प्लेन से करीब करीब दस गुना बेशी खर्च होता है। ऐसी बात है। तो इस कन्टिन्जेंसी के बारे में क्या होगा? इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूं और एस्टीमेट के बारे में भी मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूं।

4.00 म०प०

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): मैडम, मुझे कोई लंबी बात इसमे नहीं कहनी है। जो बात सिब्ते रज़ी

साहब ने रखी है यह बहुत इसमें डिटेल्ड डिसकशन की जरूरत है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिला लेवल पर किसी काम के लिए आप कोई भी प्रोपोज़ल रखिए उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है और उस लंबे वक्त की वजह से एम०पीज़ जो अपना प्रोपोज़ल देते हैं और उसमें बड़ी डिले होती है। उस डिले की वजह से अगर हम पूरी स्टडी करें और जो कमियां उसमें बाकी रह गई है एक कमेटी अगर हाउस की बनाई जाए तो मैं समझता यह हूं कि उसमें हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर सकेंगे। श्री सोमपाल जी ने जो करप्शन की बात कही है वह बहुत इंपार्टेंट है। मैं समझता हूं कि अगर एम०पीज़ का पैसा भी करप्शन के जरिए इस्तेमाल हो रहा है तो इस पर भी हमें गौर करना चाहिए और इन तमाम कमियों को भी हमें दूर करना चाहिए तथा एक कमेटी बनाई जाए ताकि जो बात सिब्ते रज़ी साहब ने कही है उसको हम ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंह: महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि एक तो इस सत्र की कालावधि बहुत कम है, तो जैसा कि यहां माननीय कापसे जी ने भी कहा कि इस सत्र के समाप्त होने के पूर्व जो संबंधित मंत्री महोदय हैं कम से कम उनको ऐसे निर्देश दें कि वे यह तो सुनिश्चित कर सकें कि जो इस पर ब्याज़ अर्जित होता है वह भी विकास कार्यों पर खर्च होगा और इस संदर्भ में एक स्टेटमेंट भी यहां आ कर दें।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: मैडम, सारे हाउस ने इस सिस्टम के खिलाफ पूरा वक्तव्य रखा और लीडर ऑफ द आपोजीशन चुपचाप बैठे हैं...**(व्यवधान)** इन्होंने कुछ नहीं कहा। हम तो इनसे कुछ सुनना चाहते थे। कम से कम इस इश्यू पर हमारी तो वकालत कर दें और कुछ तो उर्दू में बोल दें। हद हो गई...**(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: सरकार टिप्पणी नहीं करती तो विपक्ष के नेता...**(व्यवधान)**

श्री एस०एम० अहलुवालिया: सुना है प्रधान मंत्री जी उर्दू भाषा बहुत अच्छी समझते हैं, हमारी अंग्रेज़ी, हमारी हिन्दी नहीं समझते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें विपक्ष के नेता को भी कुछ कहना चाहिए। उनकी क्या राय है यह हम उनसे सुनना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री वसीम अहमद: कभी-कभी तो हाउस का माहौल अच्छा होता है और सकुचा रहे हैं। आप बोल दीजिए।...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मुझे लगता है कि सभी ने अपने-अपने विचारों को सदन के सामने रखा और इस विषय में विभिन्न दलों की ओर से जो सजेंशंस आए हैं...**(व्यवधान)**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFARIS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Madam, I have taken careful note of what the hon. members have said. We understand the importance of all the points that the members have put forward. These are very crucial and important points. We will make notes and convey them to the concerned Minister. We will make it sure that aciton is taken on what the hon. members have said.

SHRI RAMDAS AGARWAL: When will they come back to the House?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is impossible for me to give a time-frame.

PROF. RAM KAPSE: We would like to have a statement from the concerned Minister.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I will certainly convey it to the concerned Minister. We will try to bring a statement before the House. (*Interruptions*). I said, "We will try".

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यह जो स्पेशल मेंशन के माध्यम से आपने विषय उठाया था उसके बारे में सभी दलों के सदस्यों ने अपने-अपने विचारों को रखा। उन विचारों को सुनने के लिए बड़ी खामोशी के साथ हमारी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यहां पर बैठी हुई थीं और सुनने के बाद उनको भी ऐसा लगा कि आपकी जो कठिनाइयां हैं इस विषय की ओर उनको देखते हुए उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम संबंधित मंत्रालय को सूचित करेंगे और सेशन के खत्म होने के पहले-पहले ही इस पर उनसे बयान दिलवायेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ आश्वासन

हमारी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टिर दे सकती हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राम दास अग्रवाल: पहले यह हमारे साथ बैठती थीं और अब वहां पर हैं तो उनके आश्वासन पर हम भरोसा कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : अग्रवाल जी, वैसे भी आप महिलाओं पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं...**(व्यवधान)** 33 परसेंट रिज़र्वेशन नहीं देने के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल: 33 परसेंट रिज़र्वेशन दिया जाएगा पर टाइमफ्रेम बताना बहुत मुश्किल है।

Need to Provide Minimum Wages and other Facilities to Beedi Workers of Vidarbha in Maharashtra

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्व के प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रश्न उन लाखों लोगों से संबंध रखता है, जो बीड़ी बनाते हैं। मुझे अफसोस है कि बीड़ी मजदूरों की समस्या फिर से जटिल होती जा रही है। पिटीशन कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक भी उनकी स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया है। पहले फैक्टरियों में काम करने वाले लोगों को कार्ड मिला करते थे। उन कार्ड के आधार पर कुछ प्रिवीलेज देने की बात होती थी। उनकी बस्तियां भी बसती थीं, मेडीकल रिलीफ भी मिलती थी, प्रोवीडेंट फंड की भी व्यवस्था थीं। ऐसा लगता था कि अगर यह कार्ड होल्डर वाली पद्धति और स्ट्रेन्थन हो जाती है तो अधिकांश ऐसे लोगों को इस बात से राहत मिलने लगेगी और समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। लेकिन, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कार्ड होल्डरों की संख्या योजनापूर्ण ढंग से घटाने का प्रयत्न चला है। उनको थोड़ा बहुत रूपया दे दिया जाता है, परमानेंट एंपलायमेंट में से उनको हटा देते हैं और फिर घर खेप के आधार पर उनसे काम लिया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, विदर्भ में ही चार लाख लोग ऐसे हैं, जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं। कुछ वर्षों तक वहां कारखानों में 80 हजार लोग काम करते थे, आज उनकी संख्या, कारखानों में काम करने वालों की, 80 हजार से घटकर 12 हजार हो गई है। जिसको गोल्डन हेंडशेक कहते हैं, कारखानों में उसका दूसरा अर्थ रहता होगा, बीड़ी मजदूरों को हजार, दो हजार रुपया देकर परमानेंट एंपलाई के नाते से उनका नमा हटा दिया जाता है और फिर वह काम तो वही करते हैं, घर खेप के आधार पर वह लोग बीड़ी बनाते हैं...**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव (बिहार): महोदया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं से आवाज आ रही हैं, डिस्टबेन्स हो रही है, मैं चाहता हूं कि यह बंद जाए क्योंकि इस महत्वपूर्ण बात को सदन सुनना चाहता है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ठीक है, चेक कराते हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: महोदया, अब कार्ड होल्डर न रहने की वजह से उनके निवास की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी खतम हो गई, प्रोवीडेंट फंड अब देने की जरूरत नहीं है, उनके दवादारू का इंतजाम या उनके लिए हास्पीटल खोलकर इलाज कराने की जो व्यवस्था थी उसकी जिम्मेदारी से भी वह बच गए। भविष्य निधि जो इन लोगों की पहले से जमा है, आज उसको प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही है। मजदूर दर दर भटकते रहते हैं। अब उनकी मदद करने वाला वहां कोई दिखाई नहीं देता।

महोदया, जो घर खेप में बीड़ियां बनती हैं, अब हजार बीड़ी के लिए 550 ग्राम पत्ता और 203 ग्राम तम्बाकू दिया जाता है। जनरल रिपोर्ट यह है कि यह मात्रा बीड़ियों के लिए कम है, इसमें हजार बीड़ियां नहीं बनाई जा सकतीं। मुसीबत यह है कि जब बीड़ी बनाकर लाते हैं और 200 बीड़ी उसमें से छांट दी जाती है कि अपटू द स्टैंडर्ड नहीं है। इसका कसूर बीड़ी बनाने वालों का नहीं है, उसको कम तम्बाकू दिया गया और इस वजह से अच्छी बीड़ी वह नहीं बना सके। सामान्यतया एक हजार बीड़ी बनाने का 39/- रुपया देना चाहिए, पता नहीं कैसे हिसाब बन रहा है ओर एन एवरेज 16/- रुपया प्रति हजार दिया जा रहा है। जो मिनिमम वेजेज की बात है, वह भी वहां लागू नहीं है। इसमें भी ओन एन एवरेज किस कस्टम से उन्होंने शुरू कर दिया कि 12 परसेंट डिडक्शन करके पैसा देते हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार, सरकार का श्रम विभाग, इन मामलों पर विशेष ध्यान दें। लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन बीड़ी बनाना है और आज उनका बहुत जबर्दस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनको जो सुविधाएं होनी चाहिए थीं, वे अंडर हैंड तरीके से विदड्रा की जा रही हैं और आज वे केवल ठेकेदारों की मर्जी पर 16 रुपए हजार बीड़ी के आधार पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मज़ा यह है कि ऐसे लोग जो घरों पर बीड़ी बनाते हैं। आजकल एक नई